राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प ग्राम पंचायत दौलतपुरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 10/2017

1. सुलतानराम पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी चक 12 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजेन्द्र पुत्र रूपराम जाति जाट निवासी चक 12 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. गिरदावरीदेवी पत्नी रजीराम जाति जाट निवासी चक 12 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. पवन कुमार पुत्र रजीराम जाति जाट निवासी चक 12 एल.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार गंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री प्रदीप कुमार सिहाग अधिवक्ता — प्रार्थीगण
2. श्री विक्रम बिश्नोई अधिवक्ता — अप्रार्थीगण

– :: निर्णय ::– **दिनांक :– 30.05.2017**

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरीये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन कर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 12 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 48 में आनें जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 के पूर्वी दिशा में एक एक बिस्वा रास्ता उत्तर से दक्षिण दिशा में स्वीकृत किया जावे।

अप्रार्थी द्वारा जबाब प्रस्तुत किये जानें पर विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाकर निर्णय दिनांक निर्णय दिनांक 24.11.2015 के द्वारा चक 12 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत कर मुआवजा के रूप में रास्ते के भूमि के बदले में मुआवजा के रूप में डी.एल.सी दर के दुगनी राशी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को दिये जानें की शर्त पर गैर मुमकिन रास्ता घोषित किया गया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर अप्रार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के न्यायाल में अपील प्रस्तुत की गई माननीय राजस्व अपील

लगातार 2

प्राधिकारी श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 02.12.2015 से व्यथित होकर अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 21.10.2016 को आदेश पारित किया गया कि राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 012.2015 एवम् उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णयदिनांक 24.11.2015 को खारिज किये जाकर आदेशित किया गया कि उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 17.10.2015 को मौका निरीक्षण के समय अप्रार्थीगण की 8 एल.एल. के तीन मुरब्बों के बाद जिस रास्ते से अपनें खेत में आना जाना पाया है यदि वह रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है तो उस रास्ते को विधिवत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करनें की कार्यवाही तीन माह की अवधि में सुनिश्चित करें। A15/2

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधुपर नें सिविल रिट पैटिशन पेश की गई जिसका निर्णय दिनांक 03.05.2017 को किया गया जिसके अन्तर्गत माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश को अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाकर अप्रार्थीगण की कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 48 में आनें जानें हेतु मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में से पक्के खाले के साथ साथ 70,000/– रूपये अतिरिक्त रकम अप्रार्थीगण को प्रदान की जावे उक्त रकम पूर्व में स्वीकृत रास्ता एवम् अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में निर्मित कोठे के मुआवजे की एवज में जमा करवाई गई राशि 1,25,520/– रूपये के अलावा कुल 1,95,520/– रूपये जमा करवाये जावे तथा अगर प्रार्थी आदेश 03.05.2017 से दो माह के भीतर आदेशित राशि 70,000/– जमा करवाता है, तो मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 03.05.2017 की पालना में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आनें जानें के लिये मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में पक्के खाले के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय पर दी गई सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

अतः माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय के सन्दर्भ में प्रार्थीगण प्रस्तुत सहमति के आधार पर न्यायालय द्वारा पूर्ण में पारित निर्णय दिनांक 24.11.2015 के द्वारा स्वीकृत रास्ता चक 12 एल.एल. के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में से 1–1 बिस्वा को निरस्त किया जाता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत चक 12 एल. एल. के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में पक्के खाले के साथ साथ माननीय उच्च

लगातार 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

न्यायालय जोधपुर के आदेश में वर्णित शर्तो के अनुसार 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता सार्वजनिक उपयोग हेतु रहेगा।

रास्ते की भूमि के मुआवजा स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में स्वीकृत रास्ता एवम् अप्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि में निर्मित कोठे के मुआवजे की एवज में जमा करवाई गई राशि 1,25,520/– रूपये के अलावा 70,000/– रूपये कुल 1,95,520/– रूपये जमा तहसील कार्यालय श्रीगंगानगर में जमा करवाये जानें पर तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि रास्ते की भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अंकन करवाया जावे तथा जमा शुद्धा राशि को अपनें स्तर से सम्बंधित काश्तकारान (अप्रार्थीगण) को वितरित करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 30.05.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत दौलतपुरा के मजमे आम में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर